	केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर KENDRIYA VIDYALAYA MANDSAUR ☎ 07422-297127 E-mail: ppl.mandsaur@kvs.gov.in & kvmandsaur@rediffmail.com	ऋषियानन्द नगर रेवास देवड़ा रोड मन्दसौर (म.प्र.) पिनकोड - 458001

K.V. Code : 1120 C.B.S.E Affiliation Code : 1000072 C.B.S.E School Code : 54133 Website : https://mandsaur.kvs.ac.in/

F.53 / 2022-23/KVMDS/ दिनांक: 27.09.2022

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर, ऋषियानंद नगर, रेवास देवड़ा रोड,मन्दसौर -458001 (म.प्र.) केविसं भोपाल संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है जो कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर विद्यालय परिसर में टेंट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. विद्यालय में दिनांक 28.10.2022 से 31.10.2022 के दौरान स्काउट-गाइड कार्यक्रम के अंतर्गत गाइड विंग का शिविर प्रस्तावित है जिसमें लगभग 350 गाइड एवं 50 शिक्षिकाएं भाग लेंगी. इसके अलावा वर्ष भर भी अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते है, जिनके लिए टेंट संबंधी सेवाओं की आवश्यकता है।

2. टेंट संबंधी निविदा की वैध्यता, अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए होगी.

3. निविदा देने की इच्छुक फर्मों को अपनी निविदा मुहरबंद कवर / लिफाफे में डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करनी होंगी। किसी भी अन्य मोड द्वारा भेजे गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्रता मानदंडों आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं और निविदा दस्तावेजों के साथ भेजे गए हैं।

4. विनिर्देशों सहित निविदा के लिए इस निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेज पूरी पेशकश के रूप में किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पात्र हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निविदा स्वीकृति पत्र एक लिखित अनुबंध है और निविदा के सभी नियमों और शर्तों को समझ और स्वीकार किया जाना चाहिए हस्ताक्षरित और जमा होना चाहिए।

5. रु 5000 / - (केवल पाँच हजार रूपए मात्र) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) मन्दसौर में देय "KENDRIYA VIDYALAYA MANDSAUR VIDYALAYA VIKAS NIDHI " के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट/चेक के रूप में देय होगा। निविदा के अंतिम निर्धारण के बाद असफल निविदाओं / बोली लगाने वालों को बयाना धन वापस किया जाएगा। सफल बोलीदाता / ठेकेदार की बयाना राशि को धरोहर राशि के रूप में जमा रख लिया जाएगा जिसे शिविर समाप्ति के बाद लौटा या समायोजित कर दिया जाएगा.

6. इच्छुक पार्टियां किसी भी कार्य दिवस पर विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। वे विद्यालय के टेलीफोन नंबर 07422-297127 पर भी संपर्क कर सकते हैं तथा कार्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

7. निविदा फ़ॉर्म में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए, यदि प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / कटिंग / सुधार नहीं किया जाना चाहिए।

8. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. निविदा दिनांक 11.10.2022 को प्रातः 10.00 बजे निर्धारित तिथि और समय पर खोली जाएगीं।

10. निविदा का मूल्यांकन प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

11. निविदा खोलने के बाद किसी भी फर्म को अपनी निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि निविदाओं को खोलने के बाद कोई फर्म वापस लेने का इरादा रखता है तो उसके ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

12. प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर किसी भी समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है या कोई भी कारण बताए बिना निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम और शर्तों को हटाई अथवा जोडी जा सकती है।

13. निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://mandsaur.kvs.ac.in से दिनांक 27.09.2022 से डाउनलोड किए जा सकते हैं और रु 5000 रु का डिमांड ड्राफ्ट / चेक - निविदा शुल्क के रूप में "KENDRIYA VIDYALAYA MANDSAUR VIDYALAYA VIKAS NIDHI " के पक्ष में निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

(प्राचार्य)

निविदा सूचना एक नजर में

केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर,ऋषियानंद नगर,रेवास देवड़ा रोड,मन्दसौर-458001 (म.प्र.) अपने परिसर में अक्टूबर 2022 में आयोजित स्काउट-गाइड शिविर में तथा अन्य विशेष अवसरों पर टेंट संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु पात्र फर्मों से डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है.

महत्वपूर्ण तिथियां

निविदा दस्तावेज प्रकाशित करने की तिथि	27.09.2022
विद्यालय में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10.10.2022 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	11.10.2022 प्रातः 10.00 बजे

अन्य अतिरिक्त जानकारी एवं निविदा का पूर्ण संदर्भ विद्यालय की वेबसाइट https://mandsaur.kvs.ac.in से प्राप्त किये जा सकत हैं या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस पर इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(प्राचार्य)

निविदादाताओं के लिए सामान्य जानकारी

1. योग्यता शर्तें

टेंट के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले फ़र्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरयुक्त निम्न लिखित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रपत्र संलग्न करें

1. दुकान/ प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र।

2. केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण।

3 . टिन नंबर/पैन कार्ड की कॉपी

4 . मन्दसौर जिला टेंट एसोशिएसन की रेट लिस्ट

5. ईएमडी के रूप में जमा 5000 / - रूपए की डिमांड ड्राफ्ट/चेक (वापसी योग्य)

निविदा में दिये गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जानकारियां होनी चाहिए.

निविदा के सभी पृष्ठ क्रमांकित किए जाएंगे, अनुक्रमित किए जाएंगे और दस्तावेज़ को सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम रूप में उपयोग किया जाएगा।

4. <u>दरें:</u>

प्रारूप के अनुसार निविदा की दरें रुपये में लिखी जायें। दर में भाड़ा, मजदूरी इत्यादि सहित सभी कर शामिल होंगे और अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी बदलाव / संशोधन के अधीन नहीं होंगे। सामग्री की सूची में बदलाव (जोडना/ घटाना) और नई वस्तुओं की दरें प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर एवं ठेकेदार की परस्पर सहमति से तय होगी। ठेके की परिचालन अवधि में दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

5. **<u>बयाना राशि जमा</u>**

I) "KENDRIYA VIDYALAYA MANDSAUR VIDYALAYA VIKAS NIDHI " के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी राशि स्वीकार की जाएगी। ईएमडी के बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर द्वारा ईएमडी जब्त की जा सकती है यदि बोलीदाता बोली की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या सफल बोलीदाता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं.

(Iii) सफल बोलीदाता को कार्य पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अन्य बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी वापस कर दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. <u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति</u>

सफल बोली लगाने वाले को रुपये 5,000/ की राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति मन्दसौर में देय "KENDRIYA VIDYALAYA MANDSAUR VIDYALAYA VIKAS NIDHI "के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। अनुबंध के तहत ठेकेदार के कार्य निष्पादन के बाद कार्य मुक्ति दी जाएगी। संविदा के अन्तर्गत अनुबंध की अवधि के दौरान दायित्वों के न पूरा करने या शर्तों का अनुपालन न करने पर उपरोक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा।

7. <u>अनुबंध की अवधि</u>

अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा.

8. बोली का स्वीकृति / समापन

प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय बिना किसी कारण बताए अनुबंध के आदेश से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. मूल्यांकन

मूल्यांकन विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा दिए गए वित्तीय प्रस्ताव पर आधारित होगा जो प्रस्ताव में उद्धृत सभी दरों एवं अन्य योग्ताओं के योग पर आधारित होगा।

यदि शब्दों और गिनती में कोई अंतर पाया जाता है तो शब्द में लिखी गयी राशि मान्य होगी। अप्रभावी बोली केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

हालांकि मूल्यांकन वित्तीय बोली में उद्धृत सबसे कम कुल राशि पर आधारित होगा और प्रस्ताव की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर सबसे कम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उच्च बोलीदाता को काम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है।

10. अनुबंध का आदेश

क) कार्य आदेश का निर्गमन सफल बोलीदाता के साथ प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को संविदा करने हेतु इच्छुक माना जाएगा।

बी) सफल बोलीदाता जारी आदेश के 07 दिनों के भीतर, कार्य निष्पादन प्रतिभूति और निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वीकृति देगा।

11. अनुबंध को हस्ताक्षरित करना

निविदा पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को कार्यआदेश मिल जाएगा। निविदा पर हस्ताक्षर न करने से प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को अनुबंध रद्द करने का पर्याप्त आधार प्राप्त होगा और दूसरे बोलीदाता के पक्ष में कार्यआदेश देने का अधिकार होगा।

12. निविदा में छूट / संशोधन

केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर के समग्र हित में निविदा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर, किसी भी स्तर पर निविदा शर्तों को छूट / संसोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा के नियमों और शर्तों को फिर से निविदा या संशोधित करने का अधिकार होगा। यह निम्नतम बोलीदाता के साथ दरों पर बातचीत करने के अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है। कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी या सभी वित्तीय बोलियों को पूर्ण या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा चाहे वे या सबसे कम हो।

13. अनुबंध की समाप्ति, स्वामित्व की समाप्ति आदि।

I) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर बिना कारण बताये किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार यदि ऐसा चाहता है तो वह दो माह की लिखित नोटिस देकर अपनी तरफ से संविदा को समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

ii) अनुबंधित कार्य की अवधि की समाप्ति पर ठेकेदार को बिना किसी परिवाद के केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर प्रांगण का परिसर खाली करना होगा।

iii) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर द्वारा प्रदत किसी भी फनीचर व फिक्चर को हुई क्षति या नुकसान के लिए ठेकेदार से उसकी लागत वसूल की जाएगी जिसके लिए प्रतिभूति राशि में आवश्यक कटौती की जा सकती है।

iv) यदि ठेकेदार द्वारा संविदा की किसी भी शर्त का अनुपालन नही किया जाता है तो ठेका स्वत: समाप्त हो जाएगा।

v) यदि ठेकेदार दिवालीया हो जाता है तो संविदा रद्द मानी जाएगी और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों अथवा उत्तरजीवियों का किसी अधिकार के लिए कोई दावा नहीं होगा।

14.<u>निकट रिश्तेदारों की असहभागिता:</u>

केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में टेंट संबंधी सूविधाओं को प्रदान करने के लिए जिन कर्मचारियों को संलग्न किया जाएगा वे केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर के कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार न होंगे इस आशय का प्रमाण पत्र ठेकेदार को देना होगा।

15. <u>वैधानिक दायित्व</u>

क) सफल बोलीदाता / ठेकेदार प्रासंगिक कानूनों के तहत टेंट संबंधी सेवाओं के लिए आवश्यक सभी आवश्यक लाइसेंस या अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और कानून के अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त न करने के लिए वह सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। उसे केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करनी होगी। और किसी भी अन्य कानून, नियम, दिशानिर्देश आदि जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं या जो कि इस समझौते की तारीख के बाद केंद्रीय / राज्य सरकार या नगरपालिका / स्थानीय स्व-सरकारी अधिकारियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

ख) ठेकेदार केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को सभी भूल- चूक, उल्लंघनों और / या किसी भी नुकसान, क्षति , खर्च के दावे की क्षतिपूर्ति करेगा जो कि विद्यालय को उसकी त्रुटियों व दायित्वों को पूरा न करने के कारण हो सकती हैं। जिसकी भरपाई के लिए केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर प्रतिभूति जमा से वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठेकेदार द्वारा किसी वैधानिक उत्तरदायित्व के उल्लेघंन या भूलचूक के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा और उसके लिए कोई परिवाद का भागी नहीं होगा। इस समझौते के दौरान और उसके बाद से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के मामले में, प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए या किसी अन्य कानून के तहत जिम्मेदार नहीं होगा। नुकसान या मुआवजे के बदले भुगतान के लिए ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार के साथ लगे व्यक्ति को ठेकेदार के अपने कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर से कोई विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ तथा मजदूरी, वर्दी, सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के प्रशासन के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।

ग) ठेकेदार टेंट सेवाओं के लिए अपनी परिसंपत्तियों / वस्तुओं के लिए दुर्घटना, अग्नि तथा अन्य जोखिम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

घ) सरकार को देय सभी कर / लेवी / फीस शुल्क विभाग / स्थानीय निकाय को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा और ऐसे किसी दावे के लिए केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

16. <u>विवादों का समाधान</u>

केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर और टेंट प्रदाता के संदर्भ में आपस में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों व असहमतियों को सीधे अनौपचारिक बातचीत के द्वारा शांतीपूर्वक ढंग से सुलझाएंगे।

यदि ऐसे अनौपचारिक वार्ता के प्रारंभ से तीस (30) दिनों के बाद, केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर और टेंट प्रदाता सौहार्दपूर्ण रूप से एक अनुबंध विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, तो प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर सकते हैं, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम व बाध्य होगा। ,

मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां से संविदा निर्गत है।

(प्राचार्य)

निर्दिष्टीकरण, नियम और शर्तें

1. बोलीदाता निर्दिष्ट निविदा प्रपत्र में केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में टेंट सेवा प्रदान करने के लिए दरों का उद्धरण करेगा।

बोलीदाता अनुलग्नक -III में दिखाए गयी सूची के लिए अलग-अलग मदों की वित्तीय बोली में "प्रति सामग्री प्रति दिन" के आधार पर दरों का उद्धरण करेगा। दरों में उचित सर्विसिंग से जुड़े सभी कार्यों और वस्तुओं सहित सभी सामग्रियों की लागत शामिल है. समय-समय पर लागू सभी करों को बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

3. ठेकेदार द्वारा स्वंय के भाड़े पर टेंट सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी और केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर इस उद्देश्य के लिए कोई मद प्रदान नहीं करेगा। ठेकेदार अपने स्वंय के कर्मचारी की व्यवस्था अपनी लागत पर करेगा।

4. ठेकेदार काम करने के क्रम में सभी टेंट संबंधी उपकरणों को लाएगा और उसके रखरखाव और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

5. ठेकेदार टेंट सामग्री प्रदान करने के दौरान अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करेगा।

6. ठेकेदार इस अनुबंध को उप अनुबंध पर या किसी और के लिए नहीं छोड़ देगा। ठेकेदार उनके द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा स्थापित फिकचर्स और फिटिंग में होने वाले टूट-फूट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और उसे अपनी लागत पर ठीक कराना होगा।

7. ठेकेदार विद्यालय समिति / अधिकारियों / प्रतिनिधियों द्वारा बुलायी गयी नियतकालिक बैठक में भाग लेगा और स्वीकृत सुझावों, यदि कोई हो, को लागू करेगा।

8. ठेकेदार अच्छी गुणवत्ता का गद्दा, चादर, कम्बल, तकिया, दरी जो कि दाग रहित, बदबू रहित सीलन रहित हो, कटे-फटे ना हो तथा पूर्ण रूप से स्वच्छ वस्तुओं का उपयोग करेगा। इन वस्तुओं का केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर या इसकी अधिकृत समिति द्वारा सूचना दिये बिना किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है, और इसकी सिफारिशें अंतिम होंगी और ठेकेदार द्वारा स्वीकार्य होंगी।

9. टेंट स्टाफ का व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर टेंट स्टाफ को अविलंब ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. बोलीदाता केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर द्वारा प्रदान की गई जगह पर ही टेंट संबंधी सामग्री का भंडारण करेगा.

11. विद्यालय की समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक दिन के लिए सेवा का आंशिक भुगतान किया जा सकता है.

12. ठेकेदार केंद्रीय / राज्य सरकार के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा और अपने कर्मचारियों के संबंध में पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

13. टेंट सर्विसेज के ठेकेदार केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने खर्च पर टेंट संबंधी सामग्री लगाना एवं कार्य पूर्ण होने पर हटाना इत्यादि सेवाएं प्रदान करेंगे।

14. ठेकेदार द्वारा निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन और उसके कारण केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल या सुरक्षा जमा राशि से राशि वसूल किया जा सकता है।

15. केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर के अधिकारी द्वारा नामित टीम आवश्यकता अनुसार औचक निरीक्षण कर सकती है। गुणवत्ता / मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी पाने जाने पर बोलीदाता संविदा की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी.

16. यदि ठेकेदार सौंपे या उसके किसी भाग को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर ठेकेदार के बिल से यथोचित कटौती करने के लिए अधिकृत होगा और नुकसान की पूर्ण सीमा तक चार्ज वसूल किया जाएगा।

17. ठेकेदार तथा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारी सभी अतिथि /प्रतिभागियों के प्रति व्यवहार में विनम्र रहेंगे ।

18. ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करेगा जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत न प्राप्त हो।

19. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर सबसे कम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अत्यावश्यकता और आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाता को काम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, ठेकेदार बोर्डिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई दावा नहीं करेगा, जिनके लिए केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में सेवाएं दी जाएंगी।

20. अगर किसी भी कोर्ट / नगरपालिका या सरकार द्वारा ठेकेदार के खिलाफ किसी भी कानून / नियम या प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही शुरू की जाती है तो ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार होगा।

निविदा **दस्तावेजों** की चेक लिस्ट

क्र. सं.	विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में / प्रमाण पत्र आदि)	हां / नहीं लिखें
1	आवश्यक बयाना जमा (ईएमडी) की राशि (डीडी/चेक के रूप में) 5000 / -(वापसी योग्य)	
2	फर्म के पंजीकरण या स्थापना प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
3	फर्म के टिन नंबर/पैन नंबर की कॉपी	
4	जीएसटी के लिए फर्म के पंजीकरण की कॉपी	
5	निविदाकर्ता के बैंक पास बुक / स्टेटमेंट की प्रतिलिपि	
6	सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की प्रतिलिपि	
7	मन्दसौर जिला टेंट एसोशिएसन की रेट लिस्ट	

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ

निविदा प्रपत्र **अनुलग्नक - 1**

सेवा में
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर
विषय: केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में टेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए निविदा।
महोदय,
आपके निविदा सूचना दिनांक 27.09.2022 के संदर्भ में, मैं मांगे गये अपेक्षित विवरण / सूचना के अनुसार एतदद्वारा निम्न विवरण सहित अपनी निविदा बोली को प्रस्तुत करता हूं;

क्र.सं.	**टेंट सामग्री**	**दर (रुपए में) सभी करों सहित**
1	सीलिंग टेंट (15 X15)	
2	कनात	
3	पर्दे सादा	
4	ग्रीन पाल (15 X 30)	
5	दरी	
6	गद्दा (फोम) न्यूनतम 3" मोटाई	
7	कंबल (सिंगल)	
8	गादी	
9	रज़ाई (सिंगल)	
10	तकिया (पिलो कवर के साथ)	
11	चादर रंगीन सिंगल	
12	सफ़ेद चादर छोटा (10 X 15)	
13	सफ़ेद पाल बड़ा (15 X 15)	
14	पर्दे स्टेज	
15	पातिया	
16	टेबल	
17	ग्रीन मेटी	
18	कुर्सी फ़ाइबर	
19	ग्रीन/रेड कारपेट	
20	सोफा स्टील कवर	
21	तखत	
22	प्लास्टिक ड्रम पानी के	
23	पलंग फोल्डिंग पत्ती वाला	
23	जेनेरटोर	
24	हेलोजन लाइट	
25	एलईडी लाइट	

- यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है तो मैं निविदा की सभी शर्तों का पालन करते हुए टेंट सेवाएं प्रदान करूंगा.

दिनांक:

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ